उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्याः 358 /पैतीस-2-2020-3/39(2)/16
लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 व 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या-7 सन् 2009) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, एतद्द्वारा विनिर्माण तथा इससे सम्बंधित कार्यकलापों, जिसे आगे "वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2018-19" कहा गया है, के सम्बंध में सांख्यिकी के संग्रहण पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार, करने के लिए निदेश देता है:-

2. औद्योगिक इकाइयाँ, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिदर्शकरण की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित है और नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने ऊपर उल्लिखित निदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राज्य प्रतिदर्श हेतु इकाइयों का सर्वेक्षण करने के लिए श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश को सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया है।

3. राज्य सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन करने हेतु संगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए, सांख्यिकी अधिकारी की अधिकारिता में लगाया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र अथवा जिला के सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखना होगा।

4. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 के सम्बंध में सूचनादाताओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसूची के भाग-1 में संग्रहीत आंकड़ों का विधिवत सत्यापन और संवीक्षा करने के पश्चात् उन्हें कार्यालय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया जायेगा।

5. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 से सम्बंधित किसी कार्यकलाप में संलग्न समस्त व्यक्ति, सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2009) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा शासित है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) और (6) के उपबन्धों के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी को जिला स्तरों पर कार्यरत अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अपर सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान की गयी शक्तियों के माध्यम से अर्थ एवं संख्या अभिकरण में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 का कार्य सम्पादित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है। सांख्यिकी अधिकारी को उक्त उपधारा (4) एवं (6) के उपबंधों के अधीन कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर के अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा मण्डल स्तर के उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) व मण्डलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

अनुसूची

1. सांख्यिकी संग्रहण का विषय एवं प्रयोजन:

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (एक) और (दो) के अधीन संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचा, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित कार्यकलाप, मरम्मत, सेवायें, गैस और जलापूर्ति तथा शीतागार से सम्बंधित कार्यकलाप समाविष्ट हैं, से सम्बंधित पंजीकृत उद्योगों के लिये आंकड़े, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2018-19 के माध्यम से संग्रहीत किये जाते है। उक्त आंकड़ों का उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था में पंजीकृत कारखानों के योगदान की माप करने के लिए किया जायेगा।

2. सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

उक्त आंकड़े सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के भौगोलिक क्षेत्र में संग्रहीत किये जायेंगे।

3. आंकड़ा संग्रह की पद्धति:

सांख्यिकी अधिकारी की अधिकारिता में स्थित प्रत्येक जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी किया जायेगा, जिसमें सूचना दिये जाने का दिनांक, जिसे सूचना दी जानी है, उस अधिकारी या कार्यालय का नाम और जिस इकाई या इकाइयों के सम्बंध में सूचना दी जानी है, उसका/उनका विवरण और उन प्रपत्रों, जिनमें सूचना दी जानी है, को सूचित किया जायेगा। जिले का प्राधिकृत अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि उसके द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, के अध्यधीन सूचनादाता को सीधे विहित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

4. ऐसी सूचनादाताओं की प्रकृति जिनके लिए आंकड़े संग्रहीत किये जाने है:

किसी इकाई अर्थात् बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1966) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारखाना या विद्युत या गैस या जलापूर्ति उपक्रम या अधिष्ठान का स्वामी या अधिभोगी, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाय, इकाई के सम्बंध में सूचना उपलब्ध करायेगा। सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जिले का अधिकारी किसी स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह, यदि सूचना वैयक्तिक इकाईयों के लिए पृथक-पृथक न उपलब्ध हो और ऐसी अन्य शर्तें, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन एकल प्रबंधन के अन्तर्गत दो या अधिक इकाईयों के सम्बंध में समेकित सूचना उपलब्ध कराये।

5. सांख्यिकी संग्रहण पूरा किये जाने की अवधि:

प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत किये जाने का दिनांक नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा किन्तु यदि सर्वेक्षण, निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो सर्वेक्षण अवधि को दो माह तक बढ़ाया जा सकता है।

6. संदर्भ अवधि:

दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को प्रारम्भ होने वाले और दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 और दिनांक 31 मार्च, 2019 के मध्य किसी भी दिनांक को किसी इकाई के समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए सूचना प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

7. संग्रहीत की जाने वाली सूचना की प्रकृति:

अपेक्षित सूचना, आस्तियों और देयताओं, रोजगार तथा श्रम लागत, प्राप्तियों, व्ययों, निवेश की देशी अथवा आयातित मदों, उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्ययों और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग व ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है।

8. भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है:

सूचनादाता विहित प्रारूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध करायेगा।

9. सूचनादाताओं का दायित्व:

किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी, सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जिले के अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित रीति से और दिनांक तक सूचना उपलब्ध करायेगा। उसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाशक्य अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख भी उपलब्ध कराना चाहिए और तत्सम्बंधी प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहिए।

10. निरीक्षण किये जाने वाले कारबार अभिलेखों व अन्य अभिलेखों की प्रकृति:

किसी इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबार सम्बंधी अभिलेखों यथा तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति पंजी, श्रम पंजी, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य विधिक दस्तावेज का निरीक्षण, सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

11. निरीक्षण की रीति:

सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा जिला स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी और उसके कार्यालय का प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्यालय का कोई व्यक्ति अथवा मण्डल स्तर पर सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इकाई के कारबार सम्बंधी अभिलेख एवं अन्य अभिलेख के आधार पर किसी इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन कर सकते हैं और सम्बंधित स्वामी या अधिभोगी या प्रबन्धन इकाई द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकते है।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
NIYOJAN ANUBHAG- 2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.358 /35-2-2020-3/39(2)/16, Lucknow Dated 30 April, 2020

NOTIFICATION

No.: 358 /35-2-2020-3/39(2)/16
Lucknow:Dated:30 April, 2020

In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (Act no. 7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Government of Uttar Pradesh in Planning Department hereby directs a statistical survey on collection of Statistics on manufacturing and related activities hereinafter referred to as "The Annual Survey of Industries 2018-19" as per the details mentioned in the Schedule given below :-

2.The industrial units are selected by the Central Statistical Office, Government of India through the process of sampling and the Planning Department. Government of Uttar Pradesh in reference to the above mentioned direction, has appointed Shri Arvind Kumar Pandey, Director, Economics and Statistics Division, Uttar Pradesh as the Statistics Officer to survey the units for the State sample for the geographical area of Uttar Pradesh.

3.The persons authorized by the State Statistics Officer should be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person should carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned authorized Officer of the District.

4.The statistics collected in Part I of Annual Survey of Industries schedule in respect of the Annual survey of Industries 2018-19 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Director, Economics and Statistics, Uttar Pradesh.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2018-19 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (Act no. 7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. As per the provisions of sub-sections(4) and (6) of section 4 of the said Act, the Statistics Officer has been delegated the powers to conduct the Annual Survey of Industries 2018-19 work in the Economics and Statistics agency through the powers given to the Economics and Statistics Officer and Additional Statistical Officer working at the districts levels. The Statistics Officer under the provisions of the said sub-sections (4) and (6) has been delegated the powers to authorise the district level Economics and Statistics Officer and Divisional level Deputy Director(Economics and Statistics) and the Divisional Economics and Statistics Officer to inspect the work.

SCHEDULE

1. Subject and purpose for collection of Statistics:

The data for the industries registered under sub clauses (i) and (ii) of clause(m) of section 2 of the Factories Act, 1948 is collected through Annual Survey of Industries 2018-19 relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing process, repair services, gas and water supply and cold storage. The data will be used to measure the contribution of registered factories in the economy of the State.

2. Geographical area for collection of Statistics:

The data will be collected in the geographical area of all the districts of Uttar Pradesh under the Collection of Statistical Act, 2008.

3. Method of data collection:

A notice will be issued by the authorized Officer of each districts in the jurisdiction of Statistics Officer to informants under his jurisdiction indicating therein the date by which, the Officer or office to whom the unit or units for which and the formats in which information is required to be furnished. The authorized Officer for the districts may permit an informant to file the prescribed information directly to him subject to such other conditions that may be specified in the notice by the authorized Officer in the districts.

4. Nature of informants for whom data may be collected:

The owner or occupier of a unit [i.e. a factory or electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (Act no. 32 of 1966)] who would be issued notice by the authorized Officer of the district authorized by Statistics Officer shall furnish information about the unit. The Officer of the district authorized by Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify in the notice.

5. Period during which collection of Statistics may be completed:

The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice but if the survey is not completed, within the stipulated time, then the survey period may be extended for two months.

6. Reference period:

Information is required to be furnished for the Financial Year commencing on the 1st April 2018 and ending with 31st March 2019 or for the Accounting Year of a unit ending at any date between 1st April 2018 and 31st March 2019.

7. Nature of information to be collected:

The information required relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items— indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses, and relates to use of information technology and conservation of energy.

8. Language in which information is to be furnished by informant:

An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

9. Obligation of the Informants:

An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the Officer of the district authorized by Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Officer authorized by Statistics Officer or a person authorized by him.

10. Nature of business records and other records which may be inspected:

Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by Officer authorized by Statistics Officer or a person authorized by him.

11. The manner of inspection:

Statistics Officer or the Officer authorized by him at the district level and the authorized officials of his office, or the person of the Headquarter nominated by the Statistics Officer or the Officer authorized by the Statistics Officer at the Divisional level may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarification from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

By order,

(Kumar Kamlesh)
Additional Chief Secretary